

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5


क्रमांक A.1(4)153/2017/73/GPF

दिनांक : 18 अगस्त, 2023

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु जारी आदेश क्रमांक A.1(4)153/2017/73/GPF दिनांक 16.05.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 06.07.2023 की अनुपालना निगम में सुनिश्चित की जाती है। साथ ही निगम में ओ.पी.एस. हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की तिथि 31.07.2023 से बढ़ाकर 31.08.2023 कर दी गई है। यदि राज्य सरकार द्वारा ओपीएस के विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथि संबंधी कोई संशोधन होता है तो निगम में उसकी अनुपालना स्वतः ही सुनिश्चित की जावेगी।

जिन सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं परन्तु मांग राशि 31.07.2023 तक जमा नहीं करायी गई है, ऐसे कार्मिकों द्वारा न्यास सचिव से पुनः संशोधित मांग पत्र प्राप्त कर मांग राशि दिनांक 31.08.2023 तक जमा करवाना सुनिश्चित किया जावे।


सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि:

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
 2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
 3. समस्त इकाई प्रभारी
 4. उप महाप्रबन्धक (आईटी) - उक्त आदेश को रीको वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
 5. न्यास सचिव, सीपीएफ ट्रस्ट
 6. प्रबंधक, बिल्स
 7. कार्यालय आदेश पत्रावली
 8. नोटिस बोर्ड
- को भेजकर लेख है कि आपके प्रकोष्ठ/इकाई में कार्यरत कार्मिकों को उक्त आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि को भी :

1. वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
2. वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय

	6/318		9414016394
	516		
	297		
Staff	245		
Staff	230		
GIS	522		9929968565
Sr. Draughtsman	319		8830434186

117
121
217
302
302
316